

प्रेषक

निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा,
बेज नं0 31-32, सैक्टर 4,
पंचकूला ।

सेवा में


निदेशक लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा
चण्डीगढ ।

यादि क्रमांक यो0स0-I-2021/ 9043
पंचकूला दिनांक : 31/05/2021

विषय : विज्ञापन सामग्री का भेजना ।

उपरोक्त विषय पर आपको इस विभाग की Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana (PMMSY) स्कीम से सम्बन्धित विज्ञापन सामग्री भेजते हुए अनुरोध है कि इसका विज्ञापन हरियाणा में प्रचलित किन्ही चार हिन्दी समाचार पत्रों में छपवाने का कष्ट करें।

संलग्न: उपरोक्त ।


निदेशक मत्स्य पालन हरियाणा,
पंचकूला ।

मत्स्य पालन विभाग हरियाणा

मत्स्य पालन विभाग हरियाणा वर्ष 2021-22 के दौरान हरियाणा राज्य में केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना को कार्यान्वित करने हेतु उप-घटकों के अनुसार निम्न प्रकार से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है:-

ईकाई लागत पर सामान्य वर्ग के लिए 40 प्रतिशत अनुदान, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 16 प्रतिशत, भारत सरकार का हिस्सा 24 प्रतिशत तथा लाभार्थी का हिस्सा 60 प्रतिशत एवं ईकाई लागत पर आर्थिक कमजोर वर्ग/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला व सहकारी समिति के लाभार्थियों के लिए 60 प्रतिशत, जिसमें राज्य सरकार का हिस्सा 24 प्रतिशत, भारत सरकार का हिस्सा 36 प्रतिशत तथा लाभार्थी का हिस्सा 40 प्रतिशत

1. अंतर्देशीय मत्स्य पालन का विकास

मद	ईकाई लागत
तार्जे पानी में नई फिनफिश हैचरी की स्थापना	धनराशि 25.00 लाख रू० प्रति यूनिट
तार्जे पानी में नई स्कैम्पी हैचरी की स्थापना	धनराशि 50.00 लाख रू० प्रति यूनिट
नये रियरिंग तालाब का निर्माण (नर्सरी/सीड रियरिंग तालाब)/ नये ग्रीहाउट तालाब का निर्माण	धनराशि 7.00 लाख रू० प्रति हैक्टेयर
ताजे पानी की मत्स्य पालन की इनपुट पर अनुदान जिसमें मिश्रित मत्स्य, स्कैम्पी, तिलापिया इत्यादि है।	धनराशि 4.00 लाख रू० प्रति हैक्टेयर
नये खारा व क्षारीय मत्स्य तालाब का निर्माण	धनराशि 8.00 लाख रू० प्रति हैक्टेयर
नये खारा व क्षारीय मत्स्य तालाब के इनपुट पर अनुदान	धनराशि 6.00 लाख रू० प्रति हैक्टेयर

2. सजावटी एवं मनोरंजक मत्स्य पालन का विकास

मनोरंजक मत्स्य पालन को बढ़ावा	धनराशि 50.00 लाख रू० प्रति हैक्टेयर
-------------------------------	-------------------------------------

3 मत्स्य पालन प्रौद्योगिकी के संचार एवं रूपांतरण

बड़ा आर०ए०एस० यूनिट का निर्माण (8 टैंक सहित जो कि कम से कम 90मी३/टैंक व क्षमता 40 टन/फसल)/ब्योफलैक मत्स्य पालन (50 टैंक जो कि 4मी० डाय व 1.5 मी० उचाई वाला)	धनराशि 50.00 लाख रू० प्रति यूनिट
मध्यम आर०ए०एस० यूनिट का निर्माण (6 टैंक सहित जो कि कम से कम 30मी३/टैंक व क्षमता 10 टन/फसल)/ब्योफलैक मत्स्य पालन (25 टैंक जो कि 4मी० डाय व 1 मी० उचाई वाला)	धनराशि 25.00 लाख रू० प्रति यूनिट
लघु आर०ए०एस० यूनिट का निर्माण (1 टैंक 100मी३/टैंक क्षमता सहित / ब्योफलैक मत्स्य पालन (7 टैंक जो कि 4मी० डाय व 1.5 मी० उचाई वाला)	धनराशि 7.50 लाख रू० प्रति यूनिट
छोटी बैकयार्ड आर०ए०एस० यूनिट का निर्माण	धनराशि 0.50 लाख रू० प्रति यूनिट
पिंजरा मत्स्य पालन को जलाशयों में स्थापित करने पर अनुदान	धनराशि 3.00 लाख रू० प्रति यूनिट

4. मत्स्य उत्पादन के बाद कोल्ड चेन की संरचना करना

प्लांट/स्टोरेज की न्यूनतम क्षमता 10 टन	धनराशि 40.00 लाख रू० प्रति यूनिट
प्लांट/स्टोरेज की न्यूनतम क्षमता 20 टन	धनराशि 80.00 लाख रू० प्रति यूनिट
प्लांट/स्टोरेज की न्यूनतम क्षमता 30 टन	धनराशि 120.00 लाख रू० प्रति यूनिट
प्लांट/स्टोरेज की न्यूनतम क्षमता 50 टन	धनराशि 150.00 लाख रू० प्रति यूनिट
रेफ्रीजरेटिड वाहन	धनराशि 25.00 लाख रू० प्रति यूनिट
ईन्सुलेटिड (रोधक) वाहन	धनराशि 20.00 लाख रू० प्रति यूनिट
मोटरसाइकिल आईसबाक्स सहित	धनराशि 0.75 लाख रू० प्रति यूनिट
साइकिल आईसबाक्स सहित	धनराशि 0.10 लाख रू० प्रति यूनिट
थ्रीव्हीलर आईसबाक्स सहित जिसमें ई-रिक्शा मछली बेचने के लिए शामिल है।	धनराशि 3.00 लाख रू० प्रति यूनिट
जीवित मछली वेन्डिंग केन्द्र	धनराशि 20.00 लाख रू० प्रति यूनिट

5. मछली खुराक मिल की स्थापना

मिनी मिल जिसकी उत्पादन क्षमता 2 टन/प्रति दिन	धनराशि 30.00 लाख रू० प्रति यूनिट
मिडियम मिल जिसकी उत्पादन क्षमता 8 टन/प्रति दिन	धनराशि 100.00 लाख रू० प्रति यूनिट
बड़ी मिल जिसकी उत्पादन क्षमता 20 टन/प्रति दिन	धनराशि 200.00 लाख रू० प्रति यूनिट
मत्स्य चारा प्लांट जिसकी उत्पादन क्षमता 100 टन/प्रति दिन	धनराशि 650.00 लाख रू० प्रति यूनिट

6. मत्स्य बाजार एवं विपणन संरचना

मत्स्य खुदरा बाजार के निर्माण जिसमें सजावटी मछली/ऐक्वेरियम बाजार भी शामिल है।	धनराशि 100.00 लाख रू० प्रति यूनिट
मत्स्य किस्पोस्क का निर्माण जिसमें सजावटी मछली/ऐक्वेरियम के किस्पोस्क शामिल है।	धनराशि 10.00 लाख रू० प्रति यूनिट

7. मत्स्यकों एवं मछली पकड़ने के नाव का बीमा

मद	विवरण
मछुआरों का बीमा	1. मछुआरे जो कि प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना के अन्तर्गत निम्न बीमा एवं बीमा कवरेज की शर्तों के अनुसार होने चाहिए, जो कि निम्न प्रकार से है:- क. राशि 5.00 लाख मृत्यु होने या स्थाई पूर्ण विकलांगता होने पर। ख. राशि 2.50 लाख स्थाई आंशिक विकलांगता होने पर। ग. Director Fisheries, Govt. Of India जो कि अस्पताल में लाभार्थी